'A'

कार्यालय परियोजना संचालक,

बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)

Email ID pdbinapmu@gmail.com

पत्र क्र. ...227..../बीना पी.एम.यू./बंडा/2020–21 सागर दिनांक 11/02/2021

प्रति,

कलेक्टर महोदय
सागर
जिला–सागर (म.प्र.)

विषयः– संभाग की प्रस्तावित बण्डा वृहद सिंचाई परियोजना से प्रभावित वनभूमि के प्रयोग हेतु पुनरीक्षित F.R.A. Certificate जारी करने बावत्।

संदर्भः– कलेक्टर सागर का पत्र क्र. 1387 दिनांक 10.10.2018

————00————

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग भोपाल द्वारा बण्डा वृहद सिंचाई परियोजना सागर जिले बण्डा तहसील के ग्राम उल्दन के समीप धसान नदी पर प्रस्तावित की गई है। जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)/363/2018/एमपीएस/31/1110/भोपाल दिनांक 26.06.2018 द्वारा ली जा चूकि है। परियोजना का बांध स्थल जिला मुख्यालय से 50 कि.मी. दूरी पर अक्षांश $24^0$4.35'11" तथा देशांश $78^0$45'43" पर स्थित है। योजना की अनुमानित लागत रू. 2610.54 करोड़ है। तथा इससे लाभान्वित 333 ग्रामों की 80,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई पहुचाना प्रस्तावित है। योजना में बण्डा वन परिक्षेत्र की पूर्व में 505.50 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही थी। परन्तु भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा पत्र दिनांक 29.01.2021 के माध्यम 530.85 हेक्टैयर वनभूमि डूब क्षेत्र, डेमशीट एवं पहुंच मार्ग में प्रभावित होना लेख किया है

अतः वनभूमि व्यपर्तन के प्रकरणों में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत अधिकारों के विनिश्चयन की स्थिति प्रमाणित करने हेतु पुनरीक्षित F.R.A. Certificate प्रारूप में जारी किये जाने का अनुरोध है, ताकि वनभूमि के उपयोग के लिये समय पर भारत सरकार को पुनः आवेदन प्रस्तुत किया जा सके।

11.2.21
(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना पी. एम. यू. जल संसाधन
विभाग सागर (म.प्र.)

सहपत्रः– संदर्भितानुसार पत्र

पृ क्र. 227(A)/बीना पी.एम.यू./बंडा/2020–21 सागर दिनांक 11/02/2021

प्रतिलिपि :–

1. परियोजना संचालक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. अतिरिक्त परियोजना संचालक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर की सूचनार्थ संप्रेषित।

11.2.21
(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना पी. एम. यू. जल संसाधन
विभाग सागर (म.प्र.)

सहपत्रः– शून्य

कार्यालय कलेक्टर (जनजाति कार्य विभाग) जिला सागर

क्रमांक/आ0वि0/वनअधि/2018/ 1387 सागर, दिनांक 10/10/2018

प्रति,

परियोजना प्रबंधक,
परियोजना प्रबंधन इकाई बीना
जिला सागर

विषय :– बण्डा बृहद परियोजना हेतु वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत एफआरए प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने विषयक।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक क्यू 1/18/प.प्र/बीना तकनीकी दिनांक 14.3.2018

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा बण्डा वृहद परियोजना के निर्माण हेतु वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है। उक्त एफआरए प्रमाण पत्र ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव एवं उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति मालथौन, के अनुषंसा उपरांत जारी किया गया है। अतएव बण्डा वृहद परियोजना हेतु एफआरए प्रमाण पत्र (एनेक्चर एक एवं दो) में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– एफआरए प्रमाण पत्र (एनेक्चर 1 एवं 2)

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग सागर
सागर, दिनांक / /2018

पृक/आ0वि0/वनअधि/2018/
प्रतिलिपि :–

अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा/मालथौन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग सागर

Annexure-I

FORM-I
(for linear projects)
Government of Madhya Pradesh
Office of the District Collector Sagar

No 1387 Dated 10.10.18

TO WHOWSCEVER IT MAY CONCERN

In complaince of the Minstry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidenlines on submission of evidences for having initiated and completed the porcess of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA. for Short) on the Revinew land proposed to be diverted for non forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **505.50 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour **Project Director, Project unit Bina** (Name of user agecy) for Construction of **Banda Brahat Pariyojna** (purpose for diversion of forest land) in Sagar District falls within jurisdiction of Gram Panchayat **Dahkuli, Kotiya, Kulla, Bahrol, Saliya khurd, Kirola, Uldan,** Pidarua, **Atatila, Semraata, Pitholi, Imaliya Khurd, Netna, Pehrgua** Village(s) in Banda & Malthone tehsils.

It is further certified that :-

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 505.50 hectares of Revinew area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Commitee(s); Gram Sabha(s); Sub Division Level Committee(s) and the District level Committee are enclosed as annexure-I to annexure 6.

(b) The diversion of Revinew land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above.

(*Alok Kumar Singh*)
Collector
Sagar (M.P)

Collector
SAGAR (M.P.)

Annexure-II

FORM – II

(For projects other than linear projects)

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector Sagar

No.......1377 Dated...10.10.12

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry if Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act. 2006 (FRA, for short) on the Revinew land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that that **505.50 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour **Project Director, Project unit Bina** (Name of user agecy) for Construction of **Banda Brahat Pariyojna** (purpose for diversion of forest land) in Sagar District falls within jurisdiction of Gram Panchayat **Dahkuli, Kotiya, Kulla, Bahrol, Saliya khurd, Kirola, Uldan, Pidarua, Atatila, Semraata, Pitholi, Imaliya Khurd, Netna, Pehrgua** Village(s) in Banda & Malthone tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under FRA has been carried out for the entire **505.50 hectares** of Revinew area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(S), Gram Sabha(S), Sub-Division Level Committee(S) and the District level Committee are enclosed as annexure-I to annexure6

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.

(c) The each concerned Gram sabha (s) has certified that all formalities /processes under the FRA have been carried out and the they have given their consent to proposed division and compensation and ameliorative measures, if any having understood the purposed and details of proposed division, A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Dahkuli, Kotiya, Kulla, Bahrol, Saliya khurd, Kirola, Uldan, Pidarua, Atatila, Semraata, Pitholi, Imaliya Khurd, Netna, Pehrgua villages (s) in enclosed as Annexure-I to annexure-6

(d) The discussion and decision of such proposal had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of member of Grama sabha present;

(e) The diversion of Revinew land for facilities managed by the Government as required under section3 (2) of the FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it;

(f) The right of primitive Tribal Ground and Pre Agricult[illegible] Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section3 (1) (e) of the FRA.

Encl.: As above.

Alok

(Alok Kumar Singh)

Collector

Sagar (M.P)

Collector

SAGAR (M.P.)

[illegible]ण्डा बृहद परियोजना हेतु प्रभावित वन भूमि का वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अधिकारों के विनिश्चय की कार्यवाही हेतु उपखण्डस्तरीय वन अधिकार समिति मालथौन का प्रस्ताव

दिनांक -------- को बण्डा बृहद परियोजना से प्रभावित वन भूमि हेतु वन अधिकार
अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकारों के विनिश्चय [illegible] कार्यवाही हेतु उपखण्ड स्तरीय वन
अधिकार समिति मालथौन की बैठक आयोजित [illegible] निम्न विवरण अनुसार
अधिकारीगण उपस्थित रहे-

1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथौन
2 अनुविभागीय अधिकारी (वन) मालथौन
3 परियोजना प्रबंधक, परियोजना प्रबंधन इकाई
4 सदस्य सचिव उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति [illegible]

बैठक मे परियोजना प्रबंधक, परियोजना प्रबंधन [illegible] बताया गया कि धसान नदी
पर बनने वाली बण्डा बृहद परियोजना हेतु 505.50 [illegible] प्रभावित हो रही है।
परियोजना के निर्माण हेतु जनपद पंचायत बण्डा [illegible] ग्राम डहकुली, कोटिया,
बमूराबिनेका, कुल्ल, बहरोल, सलैयाखुर्द किराला [illegible] वनभूमि तथा जनपद
पंचायत मालथौन क्षेत्र के 06 ग्राम अटाटीला [illegible] इमलियाखुर्द, नेतना,
पहरगुंवा ग्रामो की वनभूमि प्रभावित हो रही है।

जनपद पंचायत बण्डा अंतर्गत ग्राम पंचायत [illegible] डहकुली मे पीएफ 407
अंतर्गत 0.7829 हैक्टेयर, ग्राम कोटिया मे आरएफ 378 [illegible] अंतर्गत 2[illegible]40 हैक्टेयर,
ग्राम कुल्ल मे पीएफ 404 अंतर्गत 10.6778 हैक्टेयर [illegible] मे पीएफ 403 अंतर्गत 14.
8584 ग्राम पंचायत बहरोल के ग्राम बहरोल मे पीएफ [illegible] 23.5310 हैक्टेयर, ग्राम
सलैयाखुर्द मे पीएफ 194, आरएफ 207, आरएफ 205 [illegible] आरएफ 258 अंतर्गत 326.
3200 हैक्टेयर, ग्राम पंचायत उल्दन के ग्राम उल्दन [illegible] अंतर्गत 23.8000 हैक्टेयर
कुल 435.9396 हैक्टेयर तथा जनपद पंचायत मालथौन [illegible] अटाटीला मे पीएफ 223
पीएफ 407 रकबा [illegible] हैक्टेयर, ग्राम [illegible] 20.18 हैक्टेयर, ग्राम
पिथौली मे पीएफ 406 अंतर्गत 1.00 हैक्टेयर, ग्राम [illegible] 218 अंतर्गत 17.3004
हैक्टेयर, ग्राम नेतना मे पीएफ 218 अंतर्गत 2.3500 [illegible] पहरगुंवा पीएफ 195, पीएफ
218 अंतर्गत 19.4 हैक्टेयर कुल 69.5604 हैक्टेयर वनभूमि [illegible] रहा है। प्रभावित वनभूमि
मे वन अधिकार अधिनियम कोई भी अनुसूचित जनजाति [illegible] भी व्यक्ति का कोई भी
दावा आवेदन [illegible] है साथ ही प्रभावित [illegible] पत्र धारकों का हक
प्रभावित नहीं हो रहा है।

समिति द्वारा जनपद पंचायत मालथौन एवं [illegible] वाली ग्राम पंचायतो
के प्रस्तावो का अवलोकन किया गया। तदोपरांत बण्डा [illegible] के डूब क्षेत्र हेतु वन
व्यपवर्तन हेतु समिति द्वारा वन अधिकार अधिनियम [illegible] के प्रस्तावो के आधार
पर उपखण्ड स्तरीय समिति सागर द्वारा परियोजना [illegible] प्रमाण पत्र प्रदाय
किये जाने की अनुशंसा किये जाने का प्रस्ताव [illegible]

परियोजना प्रबंधक
इकाई बीना

अनुविभागीय अधिकारी
मालथौन

सदस्य सचिव
[illegible] अधिकार समिति मालथौन

True copy

अनुविभागीय अधिकारी